हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.3.21 पत्रावली पेश हुई। अनुप्रार्थी उप० नायब प्रा.पत्र पेश किया। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 30.3.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) 30.3.21 पत्रावली पेश हुई। अनुप्रार्थी उप०। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRAct को स्वीकार किया जाकर के विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर दिनांकित किया गया। पत्रावली नियमानुसार बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	

मूल खसरा नबंर 1211 एवं ख.न. 1216 की सींव को लेकर विवाद होने पर प्रार्थी संख्या 1 अपने खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नबंर 1211 का सीमाज्ञान तहसीलदार खींवसर आदेश कमांक 60 दिनांक 30.05.2016 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 22.06.2016 को पक्षकारान एवं मौतबिरान के नापचौक कर सीमाज्ञान कर सीमा चिन्ह बताये गये। पटवारी द्वारा बताये गये सीमा चिन्हों पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी सीमा कायम कर ली गई। मगर अभी ही में कुछ समय पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा उक्त सीमाचिन्ह हटा दिये गये। एवं सींव को पुनः विवाद खड़ा कर दिया। उक्त माठ के विवाद को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने हेतु मूल रा नबंर 1211 रकबा 29.07 बीघा का नापचौक कर हम अपने खेत खसरा नबंर 1211 रकबा 25. बीघा खसरा नबंर 1211/1 रकबा 00.05 बीघा, ख.न. 1900/1211 रकबा 03.08 बीघा पत्थरगढी ने हेतु तहसीलदार खींवसर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर उक्त पत्थरगढी करवाने का श्रम हम तहसीलदार खींवसर की मौका कमिश्नर फीस प्रार्थीगण देने के लिए तैयार है।

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड से प्रार्थी उक्त खसरांन का रिकोर्डेड खातेदार है और Rajasthan d Revenue Act 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 (Raj. Land Rev. Act) एवंRule 34 Raj. d Rev. (Land Record Rules) 1957 के अनुसार खातेदार अथवा गैर खातेदार काश्तकार खेताय का सीमांकन करवाकर सीमा चिन्ह स्थापित करवा सकता है। तथा सीमाज्ञान हो जाने अपनी आराजी के पड़ोसीयों से रोज रोज के विवाद से भी नीजात मिल जायेगी। दोनो पक्षों में को लेकर रोज रोज के विवाद भी नहीं होगा । अतः शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एवं उक्त समस्याओं का निराकरण हेतु प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर विवादग्रस्त माठों का सीमाज्ञान वाकर पत्थर गढी कराना मेरी राय में उचित है और विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने भी पत्थरगढी राना उचित माना है।

अतः पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, दस्तावेजात एवं बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र र्गत धारा 128 एलआरएक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार खींवसर को यह आदेश जाता है की :–

आदेश

अतः तहसीलदार खींवसर को आदेश दिया जाता है की नियमानुसार सींमाकन एवं पत्थरगढी प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त के खेताय खसरा नबंर मौजा कांटिया के मूल खेत खसरा नबंर 1 से बने नये खसरा नबंर 1211, 1211/1, 1900/1211 व 1899/1211 का नापचौक करते मोके पर खसरा नबंर 1211 रकबा 25.04 बीघा व खसरा नबंर 1900/1211 रकबा 03.08 बीघा चारों और पत्थर गढी करवाने के लिए तहसीलदार खींवसर को आदेश दिया जाता है।

नोट उक्तरोक्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस आदेश की पालना की वें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

राजकेश मीना RAS
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)